न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 78/2023 दायर दिनाँक 29.03.2023

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हरकाराम भाटी पुत्र केसरीमल 2. नरसीराम पुत्र केसरीमल जाति माली निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।	बनाम	01. पूर्णमल पुत्र जेठाराम 02. लक्ष्मण सिंह पुत्र जेठाराम 03. गीता पुत्री केसरीमल भाटी 04. परमेश्वरी पुत्री केसरीमल समस्त जाति माली निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना— कुचामन 05. नरेश पुत्र स्वर्गीय लुणाराम जाति माली 06. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53,88,188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादीगण।
2. श्री कमलेश कुमार वकील प्रतिवादीगण 1 ता 5।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **12.05.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाके मौजा एलिचपुरा पटवार हल्का कलवानी, भू. अ. नि. क्षेत्र डीडवाना तहसील डीडवाना के खेत खसरा सं. 148 रकबा 2.26 है. तथा खसरा संख्या 155 रकबा 1.1900 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **11.06.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः रीडर/2025/190 दिनाँक 23.04.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः रीडर/2025/190 दिनाँक 23.04.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :—

—:: आदेश ::—

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वाके सरहद एलिचपुरा पटवार हल्का कलवानी, भू. अ. नि. क्षैत्र डीडवाना तहसील डीडवाना के खेत खसरा सं. 148 रकबा 2.26 है. तथा खसरा संख्या 155 रकबा 1. 1900 है. भूमि घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः रीडर/2025/190 दिनाँक 23.04.2026 6 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांकः रीडर/2025/190 दिनाँक 23.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **12.05.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **78 / 2023** दायर दिनाँक **29.03.2023**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. हरकाराम भाटी पुत्र केसरीमल 2. नरसीराम पुत्र केसरीमल जाति माली निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	01. पूर्णमल पुत्र जेठाराम 02. लक्ष्मण सिंह पुत्र जेठाराम 03. गीता पुत्री केसरीमल भाटी 04. परमेश्वरी पुत्री केसरीमल समस्त जाति माली निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन 05. नरेश पुत्र स्वर्गीय लुणाराम जाति माली 06. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act.

दिनाँक **12.05.2026**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादीगण एवं कमलेश कुमार वकील प्रतिवादीगण 1 ता 5 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद एलिचपुरा पटवार हल्का कलवानी, भू. अ. नि. क्षैत्र डीडवाना तहसील डीडवाना के खेत खसरा सं. 148 रकबा 2.26 है. तथा खसरा संख्या 155 रकबा 1.1900 है. भूमि घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः रीडर / 2025 / 190 दिनाँक 23.04.2026 6 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांकः रीडर / 2025 / 190 दिनाँक 23.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज...........–........... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.........
..........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.05.2026** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
सहायक कलक्टर
डीडवाना